उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-118/2019/1552/92-2-2019-22(जांच)/2017
लखनऊ :: दिनांक:: 22 अगस्त, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-प्रतापगढ. में वर्ष 2016-17 में चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप टी0ए0सी0 की जांच आख्या में परिलक्षित शासकीय क्षति हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-129/2017/1256/92-2-2017-22(जांच)/2017, दिनांक 24 जुलाई, 2017 द्वारा श्री राकेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के पत्र दिनांक 19.09.2017 तथा पत्र दिनांक 02.11.2017 द्वारा श्री राकेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड प्रतापगढ़ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र/अनुपूरक आरोप पत्र निर्गत करते हुए जांच अधिकारी से नियमानुसार जांच कर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जांच अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.04.2018 द्वारा अनुपूरक आरोप पत्र एवं पत्र दिनांक 17.04.2018 द्वारा पूरक आरोप पत्र के संबंध मे नियमानुसार जांच करते हुए जांच आख्या शासन मे उपलब्ध करायी गयी।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित कुल-14 (मूल आरोप-9 तथा अनुपूरक आरोप-5) आरोपों को जांच अकिधकारी की एक पक्षीय जांच आख्या/विवेचना मे अपचारी अधिकारी श्री राकेश कुमार के विरूद्ध अधिरोपित आरोप जो शासकीय क्षति से संबंधित थे को सहिष्णुता सीमा के अन्तर्गत पाते हुए आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया किन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा बचाव उत्तर न उपलब्ध कराने के कारण उनको सौंपे गये निर्माण कार्यों तथा अवर कोटि/मानक के अनुरूप कार्य न कराने हेतु उत्तरदायी पाया गया। जांच अधिकारी की जांच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 17.05.2018 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया। शासन द्वारा प्रेषित अभ्यावेदन विषयक पत्र को निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिनांक 28.05.2018 को अपचारी अधिकारी को तामिल कराया गया, जिसकी तामीली रसीद निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा शासन को दिनांक 05.03.2019 को उपलब्ध करायी गयी किन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन नहीं उपलब्ध कराया गया।

4. जांच अधिकारी की एक पक्षीय जांच आख्या एवं संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त पाया गया कि श्री राकेश कुमार सौंपे गये निर्माण कार्यों तथा अवर कोटि/मानक के अनुरूप कार्य न कराने हेतु उत्तरदायी हैं किन्तु श्री राकेश कुमार अपनी शासकीय सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गयें हैं ऐसी स्थिति में उन्हें प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया। अत: शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-129/2017/1256/92-2-2017-22(जांच)/2017, दिनांक 24 जुलाई, 2017 द्वारा श्री

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

राकेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड प्रतापगढ़ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही मे उन्हें दोषमुक्त करते हुए दण्ड रहित समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-118/2019/1552(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद।
3- श्री राकेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड प्रतापगढ़ सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।